टैक्स की कम वसूली पर 7 जेडओ 31 वार्ड प्रभारियों का रोका वेतन

बिल्डिंग परमिशन के हिसाब से टैक्स लेने और नए खाते खोलने के दिए निर्देश

● भोपाल / राज न्यूज नेटवर्क

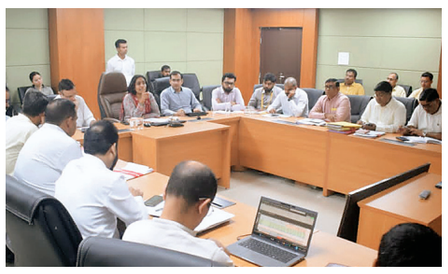

प्रॉपर्टी टैक्स की कम वसूली पर नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने 7 जेडओ समेत उनके इलाकों के 31 वार्ड प्रभारियों के वेतन रोक दिए हैं। कमिश्नर ने साफ कहा है कि बिल्डिंग परमिशन के हिसाब से ही मकानों पर टैक्स लगाएं और सभी वार्ड प्रभारियों को अपने इलाकों में छूटी हुई संपत्तियों के नए खाते खोलने को कहा।

गुरुवार को ननि मुख्यालय अटल भवन में निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने सभी विभागों की टीएल बैठक ली। बैठक में सबसे ज्यादा टैक्स वसूली को लेकर ही कमिश्नर नाराज रहीं। बताया है कि सबसे कम टैक्स वसूली उत्तर विस के अंतर्गत आने वाले वार्डों में हुई है। वहीं दूसरे नंबर पर नरेला विस का जोन 17, मध्य विधानसभा का जोन 10 और गोविंदपुरा विस का जोन 15 रहा। इन सभी जोन के जेडओ का कमिश्नर ने वेतन रोका है। कमिश्नर ने बैठक में मौजूद राजस्व विभाग के अफसरों को राजस्व वसूली बढ़ाने, बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई करने, बिल्डिंग परमिशन के अनुसार मकानों पर टैक्स लगाने, संपत्ति विरूपण और स्पॉट फाइन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

नए खाते खोलने का दिया टॉरगेट : कमिश्नर ने निगम सीमा अंतर्गत आने वाली सभी संपत्तियों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने नई आईडी बनाने, संपत्तियों पर वास्तविक क्षेत्रफल अनुसार टैक्स लगाने को कहा है।

85 वार्डों की टैक्स वसूली की समीक्षा

निगम के सभी 21 जोन अंतर्गत 85 वार्डों की टैक्स वसूली की समीक्षा करते कम वसूली पर कमिश्नर संस्कृति जैन ने उत्तर विस के जोन 2,3,4,5, मध्य विस के जोन 10,गोविंदपुरा विस के जोन 15 व नरेला विस के 17 के जोनल अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही इन सभी 7 जोन के 31 वार्ड प्रभारियों का वेतन रोकने को भी कहा।

एसी और आरओ का भी वेतन रूका : टीएल बैठक में कमिश्नर ने सहायक आयुक्त कीर्ति चौहान समेत दूसरे सहायक आयुक्त व आरओ का वेतन भुगतान लंबित रखने को कहा।

2 हजार वर्गमीटर वाले मकानों का बीवीजी रजिस्ट्रेशन जरूरी: कमिश्नर ने सॉलिड वेस्ट रूल्स के मुताबिक भोपाल में मौजूद 2 हजार वर्गमीटर से अधिक एरिया वाले मकान और परिसरों को बल्क वेस्ट जनरेटर के रूप में रजिस्ट्रेशन करने को कहा। वहीं शहर के सार्वजनिक स्थल, दीवारों पर बैनर, पोस्टर, हैण्डबिल और दूस रे माध्यम से प्रचार करने वालों के खिलाफ संपत्ति विरूपण की सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रचार-प्रसार सामग्री को तत्काल हटवाने, दीवार लेखन पर पुताई करने और पुताई पर होने वाले खर्च की राशि संबंधितों से वसूल करने के निर्देश दिए।

फिटनेस फॉर्मूला: शरीर के साथ मन को भी रखें स्वस्थ

फिटब्लिस कार्निवाल में शिवोहम और वृंदा भट्ट ने बताए मानसिक संतुलन, हीलिंग और बेहतर जीवनशैली के मंत्र

भोपाल (आरएनएन)। फिटनेस का मतलब केवल शारीरिक मजबूती नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन भी है। यह मंत्र फिटब्लिस फिटनेस कार्निवाल-2026 में वेलनेस विशेषज्ञ शिवोहम भट्ट और वृंदा भट्ट ने दिया। उन्होंने प्रतिभागियों को मानसिक स्वास्थ्य, हीलिंग और संतुलित जीवनशैली से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं से रूबरू कराया।

स्वास्थ्य की नींव: नियमित व्यायाम, सोच, अनुशासन और पर्याप्त रिकवरी: फिटब्लिस बाय डॉ. श्रुति कपूर की ओर से आयोजित इस संवादात्मक सत्र में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने मैनिफेस्टेशन, माइंडफुलनेस, तनाव प्रबंधन, फंक्शनल फिटनेस, रिकवरी और दैनिक जीवन में स्वास्थ्यवर्धक आदतों को अपनाने पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि नियमित व्यायाम के साथ सकारात्मक सोच, अनुशासन और पर्याप्त रिकवरी बेहतर स्वास्थ्य की नींव हैं।

आज यास्मीन की मास्टर क्लास, एक्टर अर्जुन कपूर होंगे शामिल

फिटब्लिस की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक डॉ. श्रुति कपूर ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि कि सात दिवसीय कार्निवाल के माध्यम से हमने सैकड़ों लोगों को फिटनेस, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और समग्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। समापन अवसर पर 7 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय पिलेट्स विशेषज्ञ यास्मीन कराचीवाला मास्टरक्लास लेंगी। इसी दिन फिटब्लिस एक्वा पूल का उद्घाटन होगा और अभिनेता अर्जुन कपूर कार्यक्रम में शामिल होंगे।

करंट लगने से मौत

भोपाल। नजीराबाद पुलिस थाने के सामने बुधवार शाम दर्दनाक हादसे में कार सर्विस सेंटर संचालक ओम गिरी गोस्वामी की मौत हो गई। घटना के समय वह कार सर्विस सेंटर में लगी मशीन सुधार रहे थे कि तभी करंट से झुलस गए। उनका बेटा उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा था, वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

शासकीय होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
(आयुष परिसर, कलियासोत डेम के किनारे, चूना भट्टी, भोपाल)

निविदा आमंत्रण सूचना

शासकीय होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा निम्न कार्यों हेतु विभिन्न संस्थाओं से ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र.	निविदा का प्रकार	पोर्टल का नाम	ई-निविदा प्राप्त करने एवं जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	ई-तकनीकि निविदा खोलने की तिथि एवं समय
1	महाविद्यालय में भर्ती रोगियों के भोजन हेतु किराना सामग्री क्रय हेतु निविदा	https://www.mptenders.gov.in	25.08.2026 को सायं 06:00 बजे तक	27.08.2026 को दोपहर 12:00 बजे
2	महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय में पेंशनर्स एवं चिकित्सा गारंटी योजना अंतर्गत आने वाले रोगियों हेतु होम्योपैथी औषधी प्रदाय हेतु निविदा	https://www.mptenders.gov.in	25.08.2026 को सायं 06:00 बजे तक	27.08.2026 को दोपहर 12:00 बजे
3	महाविद्यालय, एवं चिकित्सालय में उपलब्ध समस्त कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस. की मरम्मत/रखरखाब/प्रिंटर कॉर्टेज रिफलिंग एवं अन्य संबंधित आवश्यक कार्य हेतु निविदा	https://www.mptenders.gov.in	25.08.2026 को सायं 06:00 बजे तक	27.08.2026 को दोपहर 12:00 बजे

निविदा का विस्तृत विवरण निविदा पोर्टल पर उपलब्ध है। शुद्धि पत्र एवं संशोधन निविदा पोर्टल **www.ghmcbhopalayush.in** पर ही प्रकासित होंगे, समाचार पत्र में नहीं।
म.प्र. माध्यम/127414/2026 **प्रधानाचार्य एवं सी.ई.ओ.**

कोलार के सरकारी स्कूल का मामला

स्कूल में बिजली न पानी, एक शिक्षिका के भरोसे 70 बच्चे

कांग्रेस ने वीडियो जारी कर उठाई स्कूल की व्यवस्था सुधारने की मांग

भोपाल। कोलार क्षेत्र में ओमनगर स्थित शासकीय नवीन प्राथमिक शाला पूरी तरह बदहाल है। बिना बिजली, बिना पानी और बिना प्रिंसिपल के ही संचालित किया जा रहा है। स्कूल में एक शिक्षिका के भरोसे 70 बच्चों की शिक्षा चल रही है। कोलार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल सिंह राठौड़ ने बताया कि यह शाला कोलार लंबे समय से अव्यवस्था और बदहाली की शिकार है। राजधानी से लगे क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा का यह हाल सरकार के दावों पर कई सवाल खड़े कर रहा है। राठौड़ ने स्कूल से जुड़ा वीडियो भी जारी किया है। विद्यालय में ना तो सालों से बिजली है, न ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था है, जालियां टूटी हुई है छात्रों ने बताया जिससे असामाजिक तत्व भी आते हैं, शौचालय पूरी तरह से खराब है, स्कूल की छत टीन शेड की बनी हुई है, बच्चों को जमीन पर बिठाया जाता है कोई बेंच की व्यवस्था नहीं है।

सालों से नहीं प्रिंसिपल और स्टॉफ

स्कूल में पहले से लेकर पांचवी तक के 70 बच्चे हैं जिनके लिए मात्र एक टीचर है और और इस विद्यालय में कोई भी प्रिंसिपल नहीं है और ना ही कोई अन्य शिक्षिका है। विद्यालय की एकमात्र शिक्षिका ज्योति बरमईया से बात की तो उन्होंने बताया की जिला शिक्षा अधिकारी समेत प्रशासन को कई बार बोलने के बाद भी कोई उचित व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। इस स्कूल में मैं एक मात्र शिक्षिका हूं जो 70 बच्चों को एक साथ पहले से लेकर पांचवी क्लास तक पढ़ाती हूं। आशा कार्यकर्ता पड़ोस में से पानी लाकर बच्चों को पिलाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव एवं कलेक्टर से मांग की है कि इस स्कूल की स्थिति का जायजा लेकर शासन प्रशासन तुरंत उचित व्यवस्था कराए। उन्होंने कहा कि इस शासकीय शाला की बदहाल स्थिति के लिए भाजपा सरकार और उसके जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, जिसने आज तक कोई व्यवस्था नहीं की। कार्रवाई की मांग करने वालों में कोलार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल सिंह राठौड़ के साथ सुजीत पांडा,शाहिद हुसैन, सुनील पाटिल,रवि चौधरी,आदि नागले, आनंद इंगोले आदि शामिल हैं।

15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म बच्चे के जन्म के बाद खुलासा

भोपाल (आरएनएन)। कजलीखेड़ा थाना क्षेत्र के एक बस्ती में 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। खुलासा एक साल बाद उस समय हुआ जब नाबालिग को प्रसव पीड़ा हुई और अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने काउंसिलिंग के बाद परिचित एक युवक पर बलात्कार का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग दसवीं की छात्रा है। गांव के एक युवक से उसकी दोस्ती हुई थी, दोस्ती प्रेम-प्रसंग में बदली और युवक के लगातार शारीरिक संबंध से वह गर्भवती हो गई। गर्भवती होने की जानकारी परिजन को थी। सामाजिक बदनामी के डर से परिजन ने किसी से कुछ नहीं कहा और युवक से बेटी की शादी कराने तैयार हो गए। इसी बीच किशोरी को प्रसव पीड़ा हुई। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे जहां नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने किशोरी की काउंसलिंग के बाद गांव में रहने वाले युवक पर प्रकरण दर्ज कर लिया है।

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल
प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1
महाराणा प्रताप नगर भोपाल
प्रॉपर्टी आई.डी. नं.- 1080200007 आवेदन क्रमांक-12408
आवेदन दिनांक - 18/06/2026
क्रमांक 2324/राजस्व/भोविप्रा/2026 भोपाल, दिनांक :- 05/08/2026

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की साकेत नगर योजना में स्थित भूखंड क्रमांक 245 सेक्टर 9/ए निरूपम होम्स (फ्लेट नं. एफ-1 प्रथम तल,) श्री जयंत श्रीकृष्ण जोशी अ. एस.आर. जोशी के नाम पर आवंटित है। आवंटी श्री जयंत श्री कृष्ण जोशी का स्वर्गवास दिनांक 17/05/2026 को हो जाने के कारण आवंटी की वारिस उनकी पत्नी श्रीमती ज्योति जोशी द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड एवं नोटराइज वसीयत तथा वांछित प्रपत्रों को प्रस्तुत कर उक्त प्रकोष्ठ का नामांतरण अपने नाम पर चाहा गया है।

उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति / उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य/ दस्तावेजो के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति / दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा / आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

आम सूचना

एक किता दुकान नं.-09 कमर मंजिल कमर्शियल कॉम्पलेक्स नदीम रोड भोपाल को क्रय करने के संबंध में।

मेरे पक्षकार द्वारा श्री खलील उल्ला खां आत्मज श्री अमान उल्ला खां निवासी मकान नम्बर 1 क ग्राम रेसलपुर गौहरगंज जिला रायसेन से उनके स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की एक किता दुकान को क्रय किया जा रहा है उक्त एक किता व्यवसायिक दुकान नम्बर जी-09 कमर मंजिल कर्मशियल काम्पलेक्स (पुराना मकान नम्बर 11) के भूतल भाग पर निर्मित होकर नदीम रोड सुल्तानिया रोड की अन्दरूनी गली तहसील हुजूर जिला भोपाल जो भोपाल नगर पालिक निगम भोपाल की सीमाओं के अन्दर निम्नलिखित चोहद्दी में स्थित है कि :- पूरब में दुकान नम्बर जी-10 पश्चिम मे-दुकान नम्बर जी-8 उत्तर में कामन पैसेज दक्षिण में संपत्ति अन्य की यह कि उक्त दुकान का कुल क्षेत्रफल 121.99 वर्गफिट है। मेरे पक्षकार के उक्त दुकान को क्रय करने के संबध में किसी व्यक्ति संस्था बैंक, विभाग विक्रेता के परिवार के किसी सदस्य को कोई आपत्ति हो या इस दुकान पर कोई भार, विवाद, दावा, झगड़ा मांग मतालबा, ऋण हो या इस दुकान पर किसी अन्य के नाम विक्रेता ने कोई अनुबंध या कोई अन्य दस्तावेज निष्पादित किया गया हो तो विज्ञाप्ति दिनांक से 7 दिवस के अन्दर मेरे समक्ष सप्रमाण आपत्ति प्रस्तूत करें, उक्त समायावधि के बाद किसी आपत्ति पर विचार न किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। कृपया सूचित हो।

एफ.यू. फारूकी एडवोकेट
अपेक्स लॉ चेम्बर
कार्या :- 39, गली मस्जिद, पीर साहब, मालीपुरा पीरगेट भोपाल, मध्यप्रदेश मो.-8839981107

न्यायालय तहसीलदार, वृत्त-1, तहसील- हुजूर, जिला भोपाल
प्रकरण क्रमांक -0007/अ-20(3)/2024-25
मौजा - जगदीशपुर प.ह.न.-22
तहसील हुजूर, भोपाल

::: उद्घोषणा :::

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पर्यटन विभाग भोपाल ने ग्राम जगदीशपुर प0ह0नं-22 तहसील हुजूर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 537 कुल रकबा 1.1290 हे0 भूमि गोंड महल का किला एवं संलग्न भूमि पर्यटन गतिविधियो के संचालन (हेरिटेज होटल) की स्थापना हेतु पर्यटन विभाग भोपाल के पक्ष में आवंटन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में प्रचलित है।

अतः प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन आवेदित संस्था के नाम पर किये जाने पर किसी भी व्यक्ति / संस्था या अनुबंधकर्ता आदि को किसी भी प्रकार की आपत्ति दिनाँक 10/08/2026 को स्वयं या अधिकृत व्यक्ति/अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर समक्ष में प्रस्तुत कर सकता है। वाद-म्याद किसी भी प्रकार की आपत्ति पर सुनवाई नहीं की जायेगी तथा नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर दी जावेगी।
आज दिनॉक 03/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

तहसीलदार
तहसील हुजूर, भोपाल

कोर्ट नोटिस
श्रीमान् प्रधान परिवार न्यायालय गयाजी (बिहार)
मैट्रोमोनीयल मुकदमा नं0 419/2023
मो0 जुलफेकार आलम .....वादी
बनाम
गुलफशाँ.....प्रतिवादी

नोटिस बनाम

गुलफशाँ पति-मो0 जुलफेकार आलम वो दोख्तर स्व0 मो0 अनवार निवासी ग्राम-रफिगंज, थाना-रफिगंज, जिला-औरंगाबाद (बिहार) वर्तमान निवासी मोहल्ला बागफरहत अफजा मकवरा वाली मस्जिद, मकान नं0 40, थाना-ऐशबाग स्टेडियम, जिला-भोपाल (मध्य प्रदेश) पिनकोड-462010 मोबाईल नं0 8982962372 आप इस मोकदमा में प्रतिवादी है और आपको न्यायालय के द्वारा नजारथ वो रजिस्ट्री से सम्मन भेजा गया है फिर भी आप उपस्थित नहीं हुई। इसलिए समाचार पत्र प्रकाशन के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 07.10.2026 ई0 को 10:30 बजे दिन में स्वयं या वकालन उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा आप की अनुपस्थिति में एक पक्षीये कारवाई की जाएगी।
ताकिद जाने।

आज दिनांक 20/7/2026 को इस न्यायालय के मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया जाता है।

प्रधान परिवार न्यायालय
गया जी

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय उप महाप्रबन्धक (सिविल)
चम्बल कॉलोनी, गोविन्दपुरा, भोपाल
फोन ऑफिस : 0755-2678206, ई-मेल : gmcivil.mkvvcl@gmail.com
क्रमांक : 050/उपमहाप्रबं./सि./2044-45 **भोपाल, दिनांक : 06.08.2026**

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

सिविल वृत्त भोपाल के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों हेतु कम्पनी/म.प्र. शासन/केन्द्रीय शासन के विभिन्न विभागों में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत, ई.पी.एफ. नं. एवं जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं. प्राप्त ठेकेदारों से प्रपत्र 'अ' में लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन के दिनांक 01.01.2024 से प्रभावशील (वर्तमान तक संशोधित) एस.ओ.आर. (भवन एवं विद्युत) बेस रेट में 18 प्रतिशत जी.एस.टी. जोड़ कर, भावपत्र संक्षिप्त e-निविदा के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं :-

निविदा सूचना क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि रुपये में
उपमप्रसि/भो./32/01 (ई-निविदा क्र. 2026_MKVVC_527624_1)	संचा./संधा. वृत्त बैतूल अंतर्गत नवीन संभागीय कार्यालय मुलताई में ट्यूबवेल की ड्रिलिंग के कार्य बावत्।	5.00 लाख	10,000/-
उपमप्रसि/भो./32/02 (ई-निविदा क्र. 2026_MKVVC_527660_1)	संचा./संधा. वृत्त बैतूल अंतर्गत नवीन संभागीय कार्यालय मुलताई में नए पार्किंग शेड का निर्माण कार्य बावत्।	5.00 लाख	10,000/-
उपमप्रसि/भो./32/03 (ई-निविदा क्र. 2026_MKVVC_527664_1)	संचा./संधा. वृत्त हरदा अंतर्गत नवीन महाप्रबंधक कार्यालय भवन में ट्यूबवेल के ड्रिलिंग सहित 3HP 3-फेज सबमर्सिबल पंप की आपूर्ति और स्थापना कार्य बावत्।	3.71 लाख	7,450/-

निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय : 07.08.2026 from 10.30 Hrs.
ऑनलाइन निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 02.09.2026 up to 12.00 Hrs.
निविदा खुलने की दिनांक/समय : 03.09.2026 at 12.00 Hrs.
निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी कंपनी की वेबसाइट **portal.mpcz.in** पर देखें एवं **mptenders.gov.in** पोर्टल से निविदा क्रय कर सकते हैं।
म.प्र. माध्यम/127421/2026 **उप महाप्रबन्धक (सिविल)**

म.प्र. राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड, भोपाल
(कौशल विकास संचालनालय म.प्र.)
क्र./एमपीएसएसडीईजीबी/प्रवेश/2026/4564 **भोपाल, दिनांक : 06.08.2026**

म.प्र. की आईटीआई में प्रवेश 2026 हेतु ओपन (कन्वर्जन) राउण्ड की प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी

म.प्र. स्थित शासकीय एवं प्रायवेट आईटीआई में संचालित एनसीवीटी/एससीवीटी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी विभाग के पोर्टल **(www.dsd.mp.gov.in)** पर **"प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2026"** पर जाकर रजिस्ट्रेशन, च्वाईस फिलिंग एवं रजिस्ट्रेशन में त्रुटिसुधार हेतु निम्नानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिये **www.dsd.mp.gov.in** पर देखें।

स.क्र.	की जाने वाली कार्यवाही	दिनांक
1.	संस्थावार/व्यवसायवार रिक्त सीटों की जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित करना।	12.08.2026
2.	ओपन (कन्वर्जन) राउण्ड- म.प्र. राज्य एवं राज्य के बाहर के आवेदकों द्वारा प्रवेश पोर्टल पर आवेदन हेतु नवीन रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार। इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन करना/इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार (च्वाईस लॉक करने के पूर्व तक)।	12.08.2026 से 16.08.2026
3.	पंचम चयन सूची ओपन (कन्वर्जन) राउण्ड समस्त सीटों के कन्वर्जन सहित एवं राज्य के बाहर के आवेदकों को जोड़ते हुए मेरिट सूची जारी करना।	20.08.2026
4.	पंचम चयन सूची (सीटों के कन्वर्जन सहित) के आवेदकों का प्रवेश- आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	20.08.2026 से 24.08.2026

आवेदकों के लिये महत्वपूर्ण जानकारियां निम्नानुसार हैं :-
- आईटीआई में महिलाओं के प्रवेश हेतु 35% सीटें आरक्षित की गई हैं, साथ ही महिलाओं के लिये प्रशिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की कमी भी की गई है।
- समस्त व्यवसायों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश शुल्क को दो किश्तों में जमा करने का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश की आईटीआई में 11 ट्रेड (Welder, Plumber, Weaving Technician, Welder-Fabrication, Driver Cum Mechanic, Dress Making, Sewing Technology, Mason, Wood Work Technician-Carpenter, Painter General, Wireman) में 08वीं के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया की जा रही है। सीटें रिक्त रहने पर एवं 08वीं के आवेदक सूची में उपलब्ध नहीं होने पर 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट सूची अनुसार आवंटन जारी किया जायेगा।
- आईटीआई के विभिन्न ट्रेड में प्रवेश की अधिक जानकारी के लिये नजदीकी शासकीय आईटीआई के हेल्पडेस्क पर अवश्य संपर्क करें। आईटीआई में प्रवेश फार्म भरने की व्यवस्था भी उपलब्ध है।
- **आवेदकों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रिक्त सीटों के अनुसार अंतिम तिथि के पूर्व पुनः च्वाईस फिलिंग का भुगतान रुपये 50/- करके च्वाईस फिलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं।**

प्रवेश पोर्टल पर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संपर्क करें :-
फोन नं. : 9220407724, 9220407725, 9220407726, ई-मेल : mpitisupport@gmail.com
म.प्र. माध्यम/127423/2026 **अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी**

समिति गठित, एक महीने में देगी रिपोर्ट

भोपाल, प्रसं। मप्र शासन के कई विभागों द्वारा संचालित जन-कल्याणकारी और हितग्राही मूलक योजनाओं का परीक्षण कर उन्हें अधिक प्रभावी, परिणामोन्मुख एवं जनहितकारी बनाने अनुशंसाएं प्रस्तुत किए जाने के उद्देश्य से राज्य शासन ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति एक माह में अपना प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश अनुसार समिति में अपर मुख्य सचिव वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति, प्रमुख सचिव लोक निर्माण, सामान्य प्रशासन (कार्मिक) विभाग सदस्य होंगे। सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी को सदस्य-सचिव नामित किया गया है।

मूंग उपार्जन की 10 तक स्लॉट बुकिंग

भोपाल। किसान आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन और स्लाट बुकिंग की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन के लिए स्लाट बुकिंग अब 10 अगस्त तक कराई जा सकेगी। वहीं, मूंग एवं उड़द का उपार्जन 20 अगस्त तक होगा। कृषि विभाग ने संशोधित व्यवस्था लागू की है। समर्थन मूल्य पर उड़द बेचने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 600 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस निर्णय से किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसानों को प्रोत्साहन राशि देकर सरकार उन्हें आर्थिक मदद दे रही है।

फॉर्म-ए
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड
(कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)

दौलत राम इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में दौलत राम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के लेनदार के ध्यानार्थ हेतु

प्रासंगिक विवरण		
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	**दौलत राम इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में दौलत राम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)**
2.	कॉर्पोरेट देनदार के गठन की तिथि	24-01-1997
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार गठित/पंजीकृत है	कम्पनीज़ रजिस्ट्रार ग्वालियर
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / कॉर्पोरेट देनदार की सीमित देयता पहचान सं.	U74210MP1997PLC011601
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकरण कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	खसरा सं. 10/2, राष्ट्रीय राजमार्ग 12, ग्राम सिमराई, रायसेन, मंडीदीप, मध्य प्रदेश, भारत, 464993
6.	कॉर्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में दिवाला आरम्भ तिथि	31.07.2026 माननीय एनसीएलटी द्वारा 31.07.2026 को आदेशित तथा माननीय एनसीएलटी की वेबसाइट पर 04.08.2026 को अपलोड
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया समापन होने की अनुमानित तारीख	27.01.2027
8.	अंतरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने वाले दिवालियापन पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	अरविन्द कुमार अग्रवाल
9.	अंतरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल का पता और ईमेल पता जो बोर्ड के पास पंजीकृत हो	310 बी.एम. टॉवर 2, अग्रवाल नगर, सपना संगीता रोड, लोटस शोरूम के सामने, इन्दौर, मध्य प्रदेश, 452001 ईमेल: aka.valuer@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई-मेल	310 बी.एम. टॉवर 2, अग्रवाल नगर, सपना संगीता रोड, लोटस शोरूम के सामने, इन्दौर, मध्य प्रदेश, 452001 ईमेल: Cirp.Daulatram@Gmail.Com
11.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	18/08/2026
12.	धारा 21 के उपधारा (6ए) के खंड (बी) के तहत अंतरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई, सुनिश्चित की गई हो	लागू नहीं, क्योंकि लेनदारों के लिए कोई श्रेणियाँ परिभाषित नहीं की गई हैं।
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) प्रासंगिक फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है	https://ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पता: 310 बी.एम. टॉवर 2, अग्रवाल नगर, सपना संगीता रोड, लोटस शोरूम के सामने, इन्दौर, मध्य प्रदेश, 452001

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा दिनांक 31.07.2026 के आदेश के माध्यम से **दौलत राम इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में दौलत राम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)** के संबंध में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ किए जाने का आदेश पारित किया गया है, जो दिनांक 04.08.2026 को एनसीएलटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
दौलत राम इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में दौलत राम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के लेनदारों को इसके द्वारा आवाह किया जाता है कि प्रविष्टि नं. 10 के सामने उल्लिखित पते पर अंतरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल को **18/08/2026** तक या उससे पहले सबूत के साथ अपने दावें प्रस्तुत करे।
वित्तीय लेनदार अपने दावे प्रमाण के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सबूत के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्रविष्ट नं. 12 के सामने सूचीबद्ध एक श्रेणी संबंधित एक वित्तीय लेनदार, फार्म सी ए (लागू नहीं) में श्रेणी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्ट सं. 13 के खिलाफ सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेंसी प्रोफे